



कार्यालय :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।

(जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राँची)

फोन/फैक्स नं०:- 0651-2215618

ई-मेल आईडी-csofficeranchi@yahoo.com, singhpraveen42@gmail.com

पत्रांक१०३.....(DHS)

राँची/दिनांक24/07/2024

आवश्यक सूचना

अपर अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-9(RCH)-312/2015 - 224(AMD) दिनांक 14.09.2022 के आलोक में "Ultrasonography During Pregnancy" के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कम से कम एक बार 18-19वां सप्ताह में Ultrasound किया जाना अनिवार्य है। सदर अस्पताल राँची में Ultrasound की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु मरीजों की संख्या अत्याधिक होने के कारण गर्भवती महिलाओं को काफी कठिनाई होती है।

अतः जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर इच्छुक Ultrasonography Center से MOU करने हेतु Expression of Interest की मांग की जाती है, इच्छुक संस्थान अपना दर (Ultrasonography) मुहरबंद लिफाफा के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति राँची के कार्यालय में दिनांक 02.08.2024 को कार्यालय अवधि तक स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक या साधारण डाक द्वारा जमा किया जा सकता है।

Praveen
24/07/24

24.7.24
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।